रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 310] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 1988/ज्येष्ठ 24, 1910
No. 310] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 1988/JYAISTHA 24, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

व्यय कर

नई दिल्ली, 14 जून, 1988

का.आ. 584(अ) :—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, व्यय कर अधिनियम, 1987 (1987 का 35) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्यय कर नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्ययकर (संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. व्ययकर नियम, 1987 में —

(क) नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"धारा 8 के अधीन प्रभार्य व्यय की बाबत प्राप्त संदायों के योग की विवरणी।

5. अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रभार्य व्यय की बाबत प्राप्त संदायों के योग की विवरणी प्ररूप सं. 3 में पेश की जाएगी और उसका सत्यापन उसमें उपदर्शित रीति से किया जाएगा।

मांग की सूचना :

6. अधिनियम की धारा 20 के अधीन मांग की सूचना प्ररूप सं. 4 में होगी ।

आयुक्त (अपील) को अपील का प्ररूप :

7. (1) अधिनियम की धारा 22 के अधीन आयुक्त (अपील) को कोई अपील प्ररूप सं. 5 में की जाएगी और उसका सत्यापन उसमें उपदर्शित रीति से किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में विहित किया गया अपील का प्ररूप अपील के आधार पर और उससे संलग्न सत्यापन निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे :

(क) व्यष्टि की दशा में, स्वयं व्यष्टि द्वारा जहां व्यष्टि भारत से बाहर है, वहां सम्बद्ध व्यष्टि द्वारा, या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और जहां व्यष्टि अपने कार्य पर ध्यान देने से मानसिक रूप से अक्षम है, वहां उसके संरक्षक द्वारा या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उसकी ओर से ऐसा करने को सक्षम हो;

(ख) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, कर्ता द्वारा और जहां कर्ता भारत से बाहर है या अपने कार्यों की देखभाल करने में मानसिक रूप अक्षम है, वहां ऐसे कुटुम्ब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा;

(ग) किसी कंपनी की दशा में, उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबन्ध निदेशक विवरणी पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने में सक्षम नहीं है या जहां प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा या जहां किसी अनिवासी की दशा में निर्धारण किसी ऐसे व्यक्ति पर किया गया है जिसे आयकर अधिनियम की धारा 163 के अधीन उसका अभिकर्ता माना गया है, जैसा कि अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अधीन व्ययकर पर भी लागू होता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा ,

(घ) किसी फर्म की दशा में, उसके प्रबन्ध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबन्ध भागीदारी विवरण पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने में सक्षम नहीं है, या जहां ऐसा प्रबन्ध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी ऐसे भागीदार द्वारा जो अव्यस्थ नहीं है ।

(ङ) स्थानीय प्राधिकरण की दशा में उसके प्रधान अधिकारी द्वारा ,

(च) किसी अन्य संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा, या

(छ) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने को सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा ।

अपील अधिकरण को अपील और प्रत्याक्षेपों के आवेदन का प्ररूप :

8. (1) अपील अधिकरण को अधिनियम धारा 23 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील प्ररूप सं 6 में की जाएगी और उसका सत्यापन उसमें उपदर्शित रीति से किया जाएगा ।

(2) अपील अधिकरण को अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्याक्षेपों का आवेदन प्ररूप सं. 7 में किया जाएगा और उसका सत्यापन उसमें उपदर्शित रीति से किया जाएगा ।"

(ख) परिशिष्ट में, टेबल सं. 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूपों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं. 3

व्यय कर

प्ररूप सं. 3 व्यय कर अधिनियम, 1987 धारा 8 (1)/8(2) नियम 5	प्राथमिक व्यय की अर्जित प्राप्त संवायों के योग की विवरणी	आयकर कार्यालय में उपयोग के लिए
स्पष्ट अक्षरों में नाम		स्थायी लेखा सं.
स्पष्ट अक्षरों में कार्यालय का पता दूरभाष सं.		वार्ड/सर्किल ..... जहां निर्धारित किया गया/निर्धारितीय है :

निर्धारण वर्ष .....

यदि यह पुनरीक्षित विवरण है तो कृपया प्रस्तुत की गई पूर्ववर्ती विवरणी की रसीद सं. और तारीख लिखें

हां/नहीं

रसीद सं.	दिन	मास	वर्ष

प्रास्थिति

(संकेतिकी का प्रयोग करें, देखिए टिप्पण : 1)

लिखें क्या वह

निवासी/अनिवासी/मामूली तौर से निवासी नहीं है

(निम्नलिखित संकेतिकी का प्रयोग करें : निवासी 01, अनिवासी 02, मामूली तौर से निवासी नहीं है 03)

भाग-1 प्रभार्य व्यय का विवरण

1. निम्नलिखित के उपबन्ध को संबंध में उपगत कुल प्रभार्य व्यय :—

(क) कोई वास-स्थान, आवासिक या अन्यथा .....

(ख) होटल द्वारा खाद्य या पेय, चाहे होटल में या बाहर .....

(ग) होटल में किसी अन्य यक्ति द्वारा खाद्य या पेय .....

(घ) किराए या पट्टे पर होटल में कोई वास-स्थान .....

(ङ) होटल द्वारा होटल में कोई अन्य सेवाएं, श्रृंगार कला केन्द्र, स्वास्थ्य क्लब, तरणताल के रूप में या अन्य वैसी ही सेवाएं .....

(च) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा होटल में कोई अन्य सेवाएं, श्रृंगार कला केन्द्र, स्वास्थ्य क्लब, तरण ताल के रूप में या अन्य वैसी ही सेवाएं .....

(छ) (क) + (ख) + (ग) + (घ) + (ङ) + (च) का योग .....

2. शुद्ध प्रभार्य व्यय (दस रुपए के निकटतम गुरुज तक यथा पूर्णांकित.....व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 24 द्वारा व्यय कर को यथा लाग, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288क)

भाग-2 व्यय कर का विवरण

प्रभार्य व्यय, संगृहीत व्यय कर सरकार को संदत्त कर का विवरण और उसके संदाय की (मासवार) तारीख।

क्रम सं.	प्रभार्य व्यय	संगृहण योग्य व्यय-कर	संगृहीत व्यय कर	सरकार को संदत्त व्यय कर	संदाय की तारीख (चालान संलग्न करें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
1.					
2.					
3.					
4.					
4.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
योग					

अभी तक संगृहीत किए जाने वाले व्ययकर का अतिशेष

स्तम्भ (3)—स्तम्भ (4) : अंकों में .....

शब्दों में .....

सरकार को संदाय किए जाने वाले व्ययकर का अतिशेष

स्तम्भ (4)—अस्तम्भ (5) : अंकों में .....

शब्दों में .....

भाग 3—प्रभार्य व्यय में सम्मिलित न की गई अन्य राशियां और जिनका कराधेय न होने का दावा किया गया है ।

[धारा 5(i) से (iv) देखिए]

विशिष्टियां	रकम	कारण बताएं कि क्यों कराधेय नहीं है

सत्यापन (टिप्पण 2 और 3 देखिए)

.....

मैं, ... जो .....

(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम)

.....का पुत्र/की पुत्री/पत्नी और" .....

(होटल/रेस्टोरेंट/शृंगार कला केन्द्र, स्वास्थ्य क्लब, तरण ताल आदि का नाम) का ..... हूं

(पदनाम)

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस विवरणी और संलग्न विवरणों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और उसमें दर्शित प्रभार्य व्यय की रकम और अन्य विशिष्टियां सही-सही बताई गई हैं और 1 अप्रैल, 19.....को आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत वित्तीय वर्ष के संबंध में हैं ।

मैं सत्यनिष्ठा से यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई अन्य प्रभार्य व्यय *होटल/रेस्टोरेंट/शृंगार कला केन्द्र/स्वास्थ्य क्लब/ तरण ताल में या किसी अन्य सेवा के संबंध में, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, उपगत नहीं किया गया है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं .....की हैसियत में *होटल/रेस्टोरेंट/शृंगार कला केन्द्र/स्वास्थ्य क्लब/तरण ताल

(पदनाम)

आदि की ओर से यह विवरणी तैयार करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

तारीख ....

हस्ताक्षर

स्थान .....

टिप्पण :

1. हैसियत उपदर्शित करने के लिए कृपया निम्नलिखित कोड सं. का प्रयोग करें:

—व्यष्टि	01
—हिन्दू अविभिक्त कुटुम्ब	02
—(नीचे उल्लिखित से भिन्न)	
—हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब जिसके कम से कम एक सदस्य की पूर्व वर्ती वर्ष में कुल आय 18,000 रुपए अधिक है	03
—अरजिस्ट्रीकृत फर्म	04
—रजिस्ट्रीकृत फर्म (वृत्ति में लगी हुई से भिन्न)	05
—रजिस्ट्रीकृत फर्म, जो वृत्ति में लगी हुई है	06

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

--व्यक्तियों का संगम (व्य. का सं.)	07
--व्यक्तियों का संगम (न्यास)	08
--व्यष्टियों का निकाय (व्य. का नि.)	09
--कृत्रिम विधिक व्यक्ति	10
--सहकारी सोसाइटी	11
--कोई देशी कंपनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है	12
--कोई देशी कम्पनी जो ऐसी कम्पनी नहीं है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है और जो व्यापारिक कम्पनी या विनिधाता कम्पनी नहीं है	13
-कोई देशी कंपनी जो एक व्यापारिक कम्पनी या कोई विनिधाता कम्पनी है और वह एक ऐसी कंपनी भी है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध नहीं है	14
--देशी कंपनी से भिन्न कोई कंपनी	15
--स्थानीय प्राधिकारी	16

2. यह विवरणी निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए :—

(क) किसी व्यष्टि की दशा में, स्वयं व्यष्टि द्वारा, जहां व्यक्ति भारत से बाहर है, वहां सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो; और जहां वह व्यष्टि अपने कार्यों की देखभाल करने में मानसिक रूप से अक्षम है वहां उसके संरक्षक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम हो ।

(ख) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा और जहां कर्ता भारत से बाहर है या अपने कार्यों की देखभाल करने में मानसिक रूप से अक्षम है वहां ऐसे कुटुम्ब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा ।

(ग) किसी कंपनी की दशा में, उसके प्रबन्ध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबन्ध निदेशक विवरणी पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने में सक्षम नहीं है या जहां कोई प्रबन्ध निदेशक नहीं है वहां उसके किसी भी निदेशक द्वारा या अभिवासी की दशा में जहां किसी व्यक्ति का निर्धारण किया गया है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 163 के अधीन उसके अभिकर्ता के रूप में माना गया है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा ।

(घ) किसी फर्म की दशा में, उसके प्रबन्ध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबन्ध भागीदार विवरणी पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने में सक्षम नहीं है या जहां कोई ऐसा प्रबन्ध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भी भागीदार द्वारा, जो अप्रवासी नहीं है ।

(ङ) स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, उसके प्रधान अधिकारी द्वारा ।

(च) किसी अन्य संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; और

(छ) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा ।

3. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, हस्ताक्षरकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी और इसके साथ के विवरण सही और सभी प्रकार से पूर्ण हैं । कोई भी व्यक्ति, जो इस विवरणी या इसके साथ के विवरणों में कोई मिथ्या कथन करेगा, व्यय कर अधिनियम, 1987 की धारा 27 के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगा और दोषसिद्धि पर कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

4. व्यय कर अधिनियम, 1987 की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार किसी भी कलेंडर मास के दौरान संगृहीत कर, उक्त कलेंडर मास के ठीक अगले मास की 10 तारीख तक केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय किया जाएगा और ऐसे मासिक संदाय का सबूत इस विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।

प्ररूप सं. 4

व्यय-कर

(नियम 6 देखिए)

व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 20 के अधीन मांग की सूचना

हैसियत ----------

पी ए सं. ----------

सेवा में,

आपको सूचना दी जाती है कि निर्धारण वर्ष ---------- के लिए ---------- रुपए की राशि आपके द्वारा निम्नानुसार संदेय की जाने के लिए अवधारित की गई है :—

प्रभार्य व्यय पर कर ——————————रु.

धारा 7(2) के अधीन संदत्त कर ——————रु.

संदेय अतिशेष ——————————रु.

2. रकम इस सूचना की तामील के 35 दिन ———— ——————के भीतर प्रबन्धक, ——————————स्थित भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत बैंक में संदाय की जानी चाहिए। उप आयुक्त का पूर्व अनुमोदन उपरोक्त राशि के संदाय के लिए 35 दिन से कम अवधि अनुज्ञात करने के लिए प्राप्त कर लिया है। संदाय के प्रयोजन के लिए एक चालान संलग्न है।

3. यदि आप पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस रकम का संदाय नहीं करेंगे तो आप व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 24 द्वारा व्यय-कर का यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220(2) के अनुसार पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ होने वाली तारीख से पन्द्रह प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होंगे।

4. यदि आप पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर की रकम का संदाय नहीं करेंगे तो आपके ऊपर व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 24 द्वारा व्यय कर को यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 221 के अनुसार, आप को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, शास्ति (जो उतनी हो सकेगी, जितनी कर की रकम बकाया है) अधिरोपित की जा सकेगी।

5. यदि आप पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रकम का संदाय नहीं करेंगे तो उसकी वसूली के लिए कारवाई, व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 24 द्वारा व्यय-कर को यथा लागू, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 222 से धारा 227, धारा 229, धारा 231, धारा 232 और दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

6. यदि आपका निर्धारण/जुर्माने/शास्ति के विरुद्ध अपील करने का आशय है तो आप प्ररूप 5 में, उस प्ररूप में यथा अधिकथित सम्यक् रूप से सत्यापित इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर आयकर आयुक्त (अपील) ——————————को, व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 22 के अधीन अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

स्थान ——————————

तारीख ——————————

निर्धारण अधिकारी

——————————

पता ——————————

टिप्पण :

1. यदि आप चैक द्वारा रकम का संदाय करना चाहते हैं तो चैक भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत बैंक के प्रबंधक के पक्ष में जारी किया जाना चाहिए।

3. यदि आपका आशय रकम के संदाय के लिए समय में वृद्धि करवाने का है या किस्तों में संदाय करने का प्रस्ताव करते हैं तो, यथास्थिति, ऐसी समय-वृद्धि या किस्तों में संदाय करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन पैरा 2 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व निर्धारण अधिकारी को करना चाहिए। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन को व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 24 द्वारा व्यय-कर को लागू आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220(3) के विशिष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. अनुचित शब्दों का लोप किया जाएगा।

प्ररूप सं. 5

व्यय-कर

(नियम 7 देखिए)

व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 22 के अधीन आयकर आयुक्त (अपील) को अपील।

आयुक्त (अपील) का पदाभिधान

*सं. तारीख 19

1. आवेदक का नाम और पता	
2. स्थायी खाता सं.	
3. वह निर्धारण वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है	
4. उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी।	
5. व्यय-कर अधिनियम, 1987 की वह धारा और उपधारा जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी ने वह आदेश पारित किया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है और उस आदेश की तारीख	
6. जहां किसी निर्धारण या शास्ति या जुर्माने के संबंध में अपील की गई है वहां मांग की सुसंगत सूचना की तामील की तारीख	

7. किसी अन्य दशा में, उस आदेश के प्रज्ञापन की तामील की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई है

8. अपील में दावाकृत अनुतोष

9. वह पता जिस पर आवेदक को सूचना भेजी जा सकेगी

हस्ताक्षरित (अपीलार्थी)

† तथ्यों का विवरण

* अपील के आधार

हस्ताक्षरित (अपीलार्थी)

सत्यापन

मैं अपीलार्थी, घोषणा करता हूं कि ऊपर जो भी कथन किया गया है, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख 19 को सत्यापित

हस्ताक्षरित (अपीलार्थी)

स्थान ----------

टिप्पण :

1. अपील का प्ररूप, अपील के आधार और उससे संलग्न सत्यापन का प्ररूप किसी व्यक्ति द्वारा नियम 7(2) के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

2. ये अपील का ज्ञापन, तथ्यों का विवरण और अपील के आधार दो प्रतियों में होने चाहिएं और उसके साथ उस आदेश की प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गई है और मांग की सूचना की मूल प्रति, यदि कोई हो, लगी होनी चाहिए।

3. अनुचित शब्दों का लोप कर दें।

4. * ये विशिष्टियां आयुक्त (अपील) के कार्यालय में भरी जाएंगी।

5. † यदि यहां उपबंधित स्थान अपर्याप्त है तो, इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा।

प्ररूप सं. 6

व्यय-कर

(नियम 8 देखिए)

अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप

व्ययकर अपील अधिकरण .....में

*अपील सं. .....तारीख.....19.....

बनाम .....

अपीलार्थी प्रत्यर्थी

1. वह राज्य, जिसमें निर्धारण किया गया था।

2. वह धारा, जिसके अधीन वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित किया गया था।

3. वह निर्धारण वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है।

4. **मूल आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी।

5. * व्यय-कर अधिनियम, 1987 की वह धारा और उपधारा, जिनके अधीन निर्धारण अधिकारी ने आदेश पारित किया था।

6. ** अधिनियम की धारा 17/122 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131(2)

के अधीन, जैसे कि व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 24 द्वारा व्यय-कर को लागू होते हैं, आदेश पारित करने वाला आयुक्त (अपील)

7. †† अधिनियम की धारा 21 के अधीन आदेश पारित करने वाला आयुक्त।

8. उस आदेश को संसूचित करने की तारीख, जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

9. वह पता, जिस पर अपीलार्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी।

10. वह पता, जिस पर प्रत्यर्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी।

11. वह तारीख, जिसको मद 3 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य व्यय, यदि कोई हो, की विवरणी फाइल की गई थी।

12. वह तारीख जिसको निर्धारिती को मद 3 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य व्यय की विवरणी फाइल करने के लिए उसे बुलाते हुए किसी सूचना की, यदि कोई हो, तामील की गई थी।

13. * अपील में दावाकृत अनुतोष

* अपील के आधार

हस्ताक्षरित (अपीलार्थी)

हस्ताक्षरित
(प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो)

सत्यापन

मैं, अपीलार्थी, घोषणा करता हूं कि ऊपर जो भी कथन किया गया है, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख को सत्यापित

स्थान ——————————

हस्ताक्षरित (अपीलार्थी)

टिप्पण :

अपील का ज्ञापन तीन प्रतियों में होना चाहिए और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, दो प्रतियां (उनमें से कम से कम एक सत्यापित प्रति होनी चाहिए) और निर्धारण अधिकारी के सुसंगत आदेश की दो प्रतियां लगी होनी चाहिए।

2. अधिनियम की धारा 23अ के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा अपील की दशा में अपील के ज्ञापन के साथ 200 रुपए की फीस होनी चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि फीस, निर्धारण अधिकारी से चालान अभिप्राप्त करने के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा या भारतीय रिज़र्व बैंक की किसी शाखा या प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में जमा की जानी चाहिए और चालान की तीसरी प्रति अपील के ज्ञापन के साथ अपील अधिकरण को भेजी जानी चाहिए। अपील अधिकरण चैक, ड्राफ्ट, हुंडी या अन्य परक्राम्य लिखित स्वीकार नहीं करेगा।

3. अपील का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखित होना चाहिए या यदि अपील किसी ऐसी न्यायपीठ में दाखिल की गई है जो किसी ऐसे राज्य में स्थित है, जिसे तत्समय अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया गया है तो, अपीलार्थी को, संक्षिप्त तथा सुस्पष्ट शीर्षों के अधीन बिना किसी तर्क या वृत्तांत के अपील के आधारों को हिन्दी में वर्णित करने का विकल्प होगा और ऐसे आधारों को क्रम से संख्यांकित किया जाना चाहिए।

4. * अपील की सं. और वर्ष अपील अधिकरण के कार्यालय में भरा जाएगा।

5. ** ऐसी मदों को काट दें, जो लागू न हों।

6. * यदि उपबंधित स्थान अपर्याप्त हो, तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा।

मद सं. 7

प्ररूप-चार

[नियम 22 (2) देखिए]

अपील अधिकरण को प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप

आयकर अपील अधिकरण .... में

*प्रत्याक्षेप सं. .... तारीख .... 19........

** अपील सं. .... तारीख .... में

अपीलार्थी बनाम प्रत्यर्थी

1. ** इस अधिकरण द्वारा आवंटित अपील सं. जिससे प्रत्याक्षेप का ज्ञापन संबंधित है

2. वह राज्य, जिसमें निर्धारण किया गया था

3. वह धारा और उपधारा, जिसके अधीन वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित किया गया था

4. वह निर्धारण वर्ष, जिसके संबंध में प्रत्याक्षेप का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।

5. अपीलार्थी द्वारा अधिकरण में फाइल की गई अपील की सूचना की प्राप्ति की तारीख

6. वह पता, जिस पर प्रत्यर्थी (प्रत्याक्षेपकर्ता) को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी।

7. वह पता, जिस पर अपीलार्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी।

8. * प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन में दावाकृत अनुतोष

* प्रत्याक्षेपों के आधार

हस्ताक्षरित
(प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो)

हस्ताक्षरित
(प्रत्यर्थी)

सत्यापन

मैं .... प्रत्यर्थी, घोषणा करता हूं कि ऊपर जो भी कथन किया गया है, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज .... तारीख .... 19 ...... को सत्यापित।

हस्ताक्षरित
(प्रत्यर्थी)

स्थान

टिप्पण :

1. प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन तीन प्रतियों में होना चाहिए।

2. प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखित होना चाहिए या यदि ज्ञापन किसी ऐसी न्यायपीठ में दाखिल किया गया है, जो किसी ऐसे राज्य में स्थित है, जिसे अपील अधिकरण के प्रधान द्वारा सम्यक् आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया गया है तो प्रत्यर्थी को संक्षिप्त तथा सुस्पष्ट शीर्षों के अधीन बिना किसी तर्क या वृत्तांत के प्रत्याक्षेपों को हिन्दी में वर्णित करने का विकल्प हो और ऐसे प्रत्याक्षेपों को क्रम से संख्यांकित किया जाएगा।

3. * प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन की सं. और वर्ष अपील अधिकरण के कार्यालय में भरे जाएंगे।

4. ** अधिकरण के कार्यालय द्वारा यथा आवंटित तथा प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई अपील की सूचना में आया हुआ अपील की सं. और वर्ष प्रत्यर्थी द्वारा यहां भरा जाना है।

5. यदि उपबंधित स्थान अपर्याप्त है तो, इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा।"।

[सं. 8006 फा. सं. 133/2/88 – टी पी एल]

विजय माथुर, निदेशक (टी पी एल)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New, Delhi the 14th June, 1988

Expenditure-Tax

S.O. 584(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Expenditure-tax Act, 1987 (35 of 1987), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules to amend the Expenditure-tax Rules, 1987, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Expenditure-tax (Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Expenditure-tax Rules, 1987,—

(a) after rule 4, the following rules shall be inserted, namely:—

"RETURN OF AGGREGATE OF THE PAYMENTS RECEIVED IN RESPECT OF CHARGEABLE EXPENDITURE UNDER SECTION 8.

5. The return of the aggregate of the payments received in respect of chargeable expenditure required to be furnished under sub-section (1) or sub-section (2) of section 8 of the Act shall be furnished in Form No. 3 and shall be verified in the manner indicated therein.

Notice of Demand.

6. The notice of demand under section 20 of the Act shall be in Form No. 4.

Form of Appeal to the Commissioner (Appeal).

7.(1) An appeal under section 22 of the Act to the Commissioner (Appeals) shall be made in Form No. 5 and shall be verified in the manner indicated therein.

(2) The form of appeal prescribed by sub-rule (1) the grounds of appeal and the verification appended thereto shall be signed —

(a) in the case of an individual, by the individual himself where the individual is absent from India, by the individual concerned or by some person duly authorised by him in this behalf and where the individual is mentally incapacitated from attending to his affairs by his guardian or by any other person competent to act on his behalf;

(b) in the case of a Hindu undivided family by the Karta and where the Karta is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by any other adult member of such family ;

(c) in the case of a company, by the managing director thereof, or where for any unavoidable reason such managing director is not able to sign and verify the return, or where there is no managing director, by any director thereof or where in the case of a non-resident, the assessment has been made on any person who has been treated as his agent under section 163 of the Income-tax Act, as applied to expenditure-tax under section 24 of the Act, by such person;

(d) in the case of a firm by the managing partner thereof, or where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the return, or where there is no managing partner as such, by way any partner thereof, not being a minor ;

(e) in the case of a local authority, by the principal officer thereof;

(f) in the case of any other association, by any member of the association or the principal officer thereof; or

(g) in the case of any other person, by that person or by some person competent to act on his behalf.

Form of appeal and Memorandum of Cross-objections to Appellate Tribunal.

8.(1) An appeal under sub-section (1) or sub-section (2) of section 23 of the Act to the Appellate Tribunal shall be made in Form No. 6 and shall be verified in the manner indicated therein.

(2) A memorandum of cross-objections under sub-section(4) of section 23 of the Act to the Appellate Tribunal shall be made in the Form No. 7 and shall be verified in the manner indicated therein.";

(b) in the Appendix, after Form No. 2, the following forms shall be inserted, namely:—

"FORM NO. 3

EXPENDITURE-TAX

Form No. 3 Expenditure-tax Act, 1987 Section 8(1)/8(2) Rule 5	RETURN OF AGGREGATE OF THE PAYMENTS RECEIVED IN RESPECT OF CHARGEABLE EXPENDITURE.	For use in Income-tax Office

Name in Block letters

Permanent Account No.

Office Address in Block Letters

Ward/Circle

where assessed/assessable—

Telephone No

Assessment Year— 1 9

If this is a revised return, please state the receipt No. and date of furnishing the previous return Yes/No

Receipt No.— — 1 9

Day Month Year

Status

[Use Code 'See Note: 1]

State whether

Resident/Non-resident/not ordinarily resident

[Use the following Codes: Resident 01,

Non-resident 02, Non-ordinarily resident 03]

PART—I STATEMENT OF CHARGEABLE EXPENDITURE

1. Total chargeable expenditure incurred in connection with the provision of:—
   (a) any accommodation, residential or otherwise
   (b) food or drink by the Hotel whether at the Hotel or outside
   (c) food or drink by any other person at the Hotel
   (d) any accommodation in the hotel on hire or lease
   (e) any other services at the Hotel by the Hotel by way of beauty parlour, health club, swimming pool or other similar services
   (f) any other services at the Hotel by any other person by way of beauty parlour, health club, swimming pool or other similar services
   (g) Total of (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)

2. NET CHARGEABLE EXPENDITURE (as rounded off to the nearest multiple of ten rupees—section 288A of the Income-tax Act, 1961, as applied to Expenditure-tax Act, 1987).

PART II—STATEMENT OF EXPENDITURE TAX

BREAK UP OF CHARGEABLE EXPENDITURE, EXPENDITURE TAX COLLECTED, TAX PAID TO GOVERNMENT AND DATE OF PAYMENT THEREOF (MONTHWISE;)

S. No.	Chargeable Expenditure	Expenditure Tax Collectible	Expenditure Tax Collected	Expenditure Tax paid to Government	Date of Payment (Attach challans)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
TOTAL					

Balance of expenditure-tax yet to be collected

Colmn (3)—Colmn (4): In figures

In words

Balance of Expenditure-tax to be paid to Government

Colmn (4)—Colmn (5): In figures

In words

PART III—OTHER SUMS NOT INCLUDED IN CHARGEABLE-EXPENDITURE AND CLAIMED TO BE NOT TAXABLE

[See section 5 (i) to (iv)]

Particulars	Amount	Reasons why not taxable

VERIFICATION (See Notes 2 and 3)

I, _____
(Name in full and in Block letters)

*Son/daughter/wife of Shri _____

being the _____ of _____
(designation) (Name of the Hotel/Restaurant, Beauty Parlour, Health Club, Swimming Pool, etc.)

Solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this return and the statements accompanying it is correct and complete and that the amount of chargeable expenditure and other particulars shown therein are truly stated and relate to the financial year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 19——.

I further solemnly declare that during the said financial year no other chargeable expenditure has been incurred in the *Hotel/restaurant/beauty parlour/health club/Swimming Pool or in respect of any other service to which the Act applies.

I further declare that in my capacity as _____ I am competent to make this return and verify it on
(Designation)

behalf of the *Hotel/restaurant/beauty parlour/health club/swimming pool, etc.

Date _____

Place _____ (Signature)

*Delete whichever is not applicable.

Notes:

1. For indicating the status, please use the following code numbers:

Individual	01
Hindu undivided family (other than the one mentioned below)	02
Hindu undivided family which has at least one member with total income of the previous year exceeding Rs. 18,000	03
Unregistered firm	04
Registered firm (other than the one engaged in profession)	05
Registered firm engaged in profession	06
Association of persons (AOP)	07
Association of persons (trusts)	08
Body of individuals (BOI)	09
Artificial juridical person	10
Cooperative society	11
A domestic company in which public are substantially interested	12
A domestic company which is not a company in which the public are substantially interested and which is not a trading company or an investment company	13
A domestic company which is a trading company or an investment company and is also a company in which the public are not substantially interested	14
A company other than a domestic company	15
Local authority	16

2. This return should be signed by:

(a) In the case of an individual, by the individual himself, where the individual is absent from India by the individual concerned or by some person duly authorised by him in this behalf, and where the individual is mentally incapacitated from attending to his affairs by his guardian or by any other person competent to act on his behalf.

(b) In the case of a Hindu undivided family, by the Karta, and where the Karta is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by any other adult member of such family.

(c) in the case of a company, by the managing director thereof, or where for any unavoidable reason such managing director is not able to sign and verify there turn, or where there is no managing director, by any director thereof or where in the case of a non-resident, the assessment has been made on any person who has been treated as his agent under section 163 of the Income-tax Act, 1961, by such person.

(d) in the case of a firm by the managing partner there of or where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the return, or where there is no managing partner as such: by any partner thereof not being a minor.

(e) in the case of a local authority, by the principal officer thereof;

(f) in the case any of other association, by any member of the association or the principal officer thereof; and

(g) in the case of any other person, by that person or by some person competent to act on his behalf.

3. Before signing the verification, the signatory should satisfy himself that this return at the accompanying statements are correct and complete in all respects. Any person making a false statement in this return or the accompanying statements shall be liabe to prosecution under section 27 of the Expenditure-tax Act, 1987 and on conviction be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than theree months but which may extend to seven years and with fine

4. The tax collected during any calendar month in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 7 of the Expenditure Tax Act, 1987 shall be paid to the credit of the Central Government by the 10th day of the month immediately following the said calendar month and the proof of such monthly payment should be attached along with this return.

FORM NO. 4

EXPENDITURE TAX

(See rule 6)

Notice of Demand under Section 20 of the Expenditure-tax Act, 1987

Status ——————

P.A. No.——————

To

——————

——————

——————

This is to give you notice that for the assessment year——————a sum of Rs.——————has been determined to be payable by you as under:—

Tax on chargeable expenditure	Rs. ——————
Tax paid under section 7(2)	Rs. ——————
Balance payable	Rs.——————

2. The amount should be paid to the Manager, State Bank of India/Reserve Bank of India/authorised Bank at—————— within 35 days/——————days of the service of this notice. The previous approval of the Deputy Commissioner has been obtained for allowing a period of less than 35 days for the payment of the above sum. A challan is enclosed for the purpose of payment.

3. If you do not pay the amount within the period specified above, you will be liable to pay simple interest at the rate of fifteen per cent per annum from the date commencing after the end of the period aforesaid in accordance with section 220(2) of the Income Tax Act, 1961 as applied to Expenditure-tax by section 24 of the Expenditure-tax Act, 1987.

4. If you do not pay the amount of tax within the period specified above, (penalty which may be as much as the amount of tax in arrear) may be imposed upon you after giving you a reasonable opportunity of being heard in accordance with section 221 of the Income-tax Act, 1961 as applied to Expenditure-tax by section 24 of the Expenditure-tax Act, 1987.

5. If you do not pay the amount within the period specified above, proceedings for the recovery thereof will be taken in accordance with sections 222 to 227, 229, 231 232 and the Second Schedule and the Third Schedule to the Income-tax Act, 1961 as applied to expenditure-tax by section 24 of the Expenditure -tax Act, 1987.

6. If you intend to appeal against the assessment/fine/penalty you may present an appeal under section 22 of the Expenditure-tax Act, 1987 to the Commissioner of Income-tax (Appeals)——————within thirty days of the receipt of this notice in Form No. 5 duly verified as laid down in that Form.

Place——————

——————
Assessing Officer

Date——————

——————
Address

Notes:

1. If you wish to pay the amount by cheque, the cheque should be drawn in favour of the Manager, State Bank of India/Reserve Bank of India/authorised Bank.

2. If you intend to seek extension of time for payment of the amount or propose to make the payment by instalments, the application for such extension or, as the case may be, permission to pay by instalments, should be made to the Assessing Officer before the expiry of the period specified in paragraph 2. Any request received after the expiry of the said period will not be entertained in view of the specific provisions of Section 220 (3) of the Income-tax Act, 1961 applied to the expenditure tax by section 24 of the Expenditure-tax Act, 1987.

3. Delete the inappropriate words.

FORM NO. 5

EXPENDITURE-TAX

(See rule 7)

Appeal to the Commissioner of Income-tax (Appeals) under section 22 of the Expenditure-tax Act, 1987

Designation of the Commissioner (Appeals)

*No........of 19........19....

1. Name and address of the appellant
2. Permanent Account No.
3. Assessment year in connection with which the appeal is preferred
4. Assessing Officer passing the order appealed against
5. Section and sub-section of Expenditure-tax Act, 1987, under which the Assessing Officer passed the order appealed against and the date of such order
6. Where the appeal relates to any assessment or penalty or fine, the date of service of the relevant notice of demand
7. In any other case, the date of service of the intimation of the order appealed against
8. Relief claimed in appeal
9. Address to which notices may be sent to the appellant

Signed (Appellant)

+Statement of facts

+Grounds of appeal

Signed (Appellant)

VERIFICATION

I,——————————, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today the——————day of——————19———

(Signed)

(Appellant)

Place————

Note:

1. The form of appeal, ground of appeal and form of verification appended thereto should be signed by a person in accordance with the provisions of rule 7(2).
2. This memorandum of appeal, statement of facts and the grounds of appeal must be in duplicate and should be accompanied by a copy of the order appealed against and the notice of demand in original if any.
3. Delete inappropriate words.
4. *Three particulars will be filled in the office of the Commissioner (Appeals).
5. +If the space provided herein is insufficient, separate enclosures may be used for the purpose

FORM NO. 6

EXPENDITURE TAX

(See rule 8)

Form of Appeal to the Appellate Tribunal

IN THE INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL ————————————————

*Appeal No.————of————19——19.

————————Versus————————

Appellant Respondent

————————————————————————

1. The State in which the assessment was made

2. Section under which the order appealed against was passed

3. Assessment year in connection with which the appeal is preferred

4. **The Assessing Officer, passing the original order

5. *Section and sub-section of the Expenditure-tax Act, 1987, under which the Assessing Officer passed the order

6. **The Commissioner (Appeals) passing the order under section 17/22 of the Act/section 131(2) of the Income-tax Act, 1961, as applied to Expenditure-tax by section 24 of the Ependiture-tax Act, 1987

7. **The Commissioner passing the order under section 21 of the Act

8. Date of communication of the order appealed against

9. Address to which notices may be sent to the appellant

10. Address to which notices may be sent to the respondent

11. Date on which the return of chargeable expenditure, if any, for the assessment year referred to in item 3 was filed.

12. Date on which the assessee was served with a notice, if any, calling upon him to file the return of chargeable expenditure for the assessment year referred to in item 3

13. +Relief claimed in appeal

+Grounds of appeal

————————
Signed
(Appellant)

————————
Signed
(Authorised representative, if any)

————————
Signed
(Appellant)

VERIFICATION

I,————————, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, the————————day of————————19————.

Place————

————————
Signed
(Appellant)

Notes:

1. The memorandum of appeal must be in triplicate and should be accompanied by two copies (at least one of which should be a certified copy) of the order appealed against and two copies of the relevant order of the Assessing Officer.

2. The memorandum of appeal in the case of an appeal by an assessee under section 23(1) of the Act must be accompanied by a fee of Rs. 200. It is suggested that the fee should be credited in any branch of the State Bank of India or a branch of the Reserve Bank of India or a branch of the authorised bank after obtaining the challan from the Assessing Officer and the triplicate challan sent to the Appellate Tribunal with the memorandum of appeal. The Appellate Tribunal will not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.

3. The memorandum of appeal should be written in English or, if the appeal is filed in a bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunals) Rules, 1963, then, at the option of the appellant, in Hindi, and should set forth concisely and under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.
4. *The number and year of appeal will be filled in the office of the Appellate Tribunal.
5. **Delete the inapplicable items.
6. +If the space provided is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose.

FORM NO. 7

EXPENDITURE TAX

[See rule 8(2)]

Form of memorandum of cross-objections to the Appellate Tribunal

IN THE INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL————

*Cross-objection No.————of————19——19.

**In Appeal No.————of————19————19——

———————— Versus ————————

Appellant Respondent

1. **Appeal No. allotted by the Tribunal to which memorandum of cross-objection relates.
2. The State in which the assessment was made
3. Section and sub-section under which the order appealed against was passed.
4. Assessment year in connection with which the memorandum of cross-objections is prefered
5. Date of receipt of notice of appeal filled by the appellant to the Tribunal
6. Address to which notices may be sent to the respondent (cross-objector)
7. Address to which notices may be sent to the appellant
8. +Relief claimed in the memorandum of cross-objections.

+Grounds of cross-objections

Signed
(Authorised representative, if any)

Signed
(Respondent)

VERIFICATION

I,————————the respondent do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.
Verified today the————day of————19——

Signed
(Respondent)

Place————

Notes:
1. The memorandum of cross-objections must be in triplicate.
2. The memorandum of cross-objections should be written in English, or, if the memorandum is filed in a Bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Trbunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963 then, at the option of the respondent, in Hindi, and should set forth, concisely and under distinct heads the cross-objections without any argument or narrative and such objections should be numbered consecutively.
3. *The number and year of memorandum of cross-objections will be filed in the office of the Appellate Tribunal.
4. **The number and year of appeal as allotted by the office of the Tribunal and appearing in the notice of appeal received by the respondent is to be filled in hereby the respondent.
5. +If the space provided is insufficient, separate enclosures may be used for the purpose.

[No. 8006/F.No. 143/2/88-TPL]
VIJAY MATHUR, Director (TPL)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988